अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के दौरान दिल्ली सरकार के वित्तों का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है और गत पाँच वर्षो के दौरान संपूर्ण प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयन में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैः (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिक निधि तथा (iii) लोक लेखे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली सरकार के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं - समेकित निधि तथा आकस्मिक निधि। दिल्ली में लोक लेखे नहीं है। ऋण से संबंधित लेन-देनों (उन के अलावा जो लघु बचत योजनाओं से संबंधित हैं), जमाओं, अग्रिमों, प्रेषणों तथा उचंत का संघ सरकार के लोक लेखे में विलय किया जाता है। राज्य की राजकोषीय देयताओं में लघु बचत संग्रह शामिल है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के शेष को संघ सरकार में शामिल किया जाता है तथा सामान्य रोकड़ शेष का भाग बनाया जाता है और इसे सरकार के पास जमा के रूप में माना जाता है। दिल्ली, संघीय क्षेत्र होने के कारण केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत समाविष्ट नहीं हैं। वर्तमान में 13 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को प्रदत्त वित्तीय वितरण दिल्ली में उपलब्ध नहीं हैं। दिल्ली को संघीय करों व शुल्कों के राजकीय अंश के बदले केवल विवेकाधीन अनुदान प्राप्त है।

राज्य की रुपरेखा

दिल्ली, देश की राजधानी, 1,483 वर्ग किमी क्षेत्र में फैली हुई, 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. की औसत जनसंख्या घनत्व सहित घनी आबादी वाला राज्य है। राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2013-14 में ₹ 4,04,575.65 करोड़ था। इसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) पिछले दशक में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत स.रा.घ.उ. (16.76 *प्रतिशत*) की तुलना में उच्च दर पर (15.49 *प्रतिशत*) बढ़ा है। **(परिशिष्ट 1.1)**

1.1 प्रस्तावना

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखे 16 विवरणियों में निर्धारित हैं जिनमें रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि व आकस्मिक निधि में प्राप्तियाँ तथा व्यय, राजस्व व पूँजीगत प्रस्तुत की गई हैं **(परिशिष्ट 1.2)**।

1.2 चालू वर्ष के राजकोषीय लेने-देनों का सारांश

तालिका 1.1 पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष (2013-14) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सार प्रस्तुत करता हैं जबकि **परिशिष्ट 1.3** प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण तथा चालू वर्ष के दौरान सम्पूर्ण राजकोषीय स्थिति का विवरण देता है।

तालिका 1.1
चालू वर्ष के राजकोषीय प्रचालनों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण				
	2012-13	2013-14		2012-13	2013-14		
खण्ड-अ राजस्व	**कुल**	**कुल**	**खण्ड-अ राजस्व**	**कुल**	**गैर योजनागत**	**योजनागत**	**कुल**
राजस्व प्राप्तियाँ	25560.97	27980.69	**राजस्व व्यय**	20659.36	14904.24	7462.28	22366.52
कर राजस्व	23431.52	25918.69	सामान्य सेवाएँ	5738.57	5445.56	151.91	5597.48
गैर-कर राजस्व	626.93	659.14	सामाजिक सेवाएँ	11737.44	5999.01	6315.53	12314.54
			आर्थिक सेवाएँ	2350.82	2655.17	994.84	3650.01
भारत सरकार से अनुदान	1502.52	1402.86	सहायता अनुदान तथा अंशदान	832.53	804.50	-	804.50
खण्ड-ब पूँजीगत			**खण्ड-ब पूँजीगत**				
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	पूँजीगत व्यय	4176.63	4.49	4702.93	4707.42
ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ	724.90	802.92	संवितरित ऋण व अग्रिम	3734.83	3577.38	2074.99	5652.37
सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ*	922.41	4162.89	सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान*	1287.99	1325.29	-	1325.29
प्रारंभिक नकद शेष$	4636.28	1985.75	अंतिम नकद शेष$	1985.75	-	-	880.65
कुल	**31844.56**	**34932.25**		**31844.56**			**34932.25**

** भारत सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम सम्मिलित हैं जो प्रमुखतः छोटी बचतों में अंश के रुप में है।*

$ नकद शेष को भारत सरकार के सामान्य नकद शेष में जोड़ा जाता है।

(स्रोतः वर्ष 2013-14 की दिल्ली के वित्त लेखों तथा प्र. लेखा, कार्यालय, दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार)

पिछले वर्ष की तुलना में 2013-14 के दौरान हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित हैं:

- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2,419.72 करोड़ (9.47 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई थी। कर राजस्व में ₹ 2,487.17 करोड़ (10.61 *प्रतिशत*) व गैर-कर राजस्व में ₹ 32.21 करोड़ (5.14 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जबकि भारत सरकार से अनुदानों में ₹ 99.66 करोड़ (6.63 *प्रतिशत*) की कमी हुई ।
- राजस्व व्यय में क्रमशः ₹ 1,707.16 करोड़ (8.26 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई जबकि पूँजीगत व्यय में ₹ 530.79 करोड़ (12.71 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई ।
- ऋण व अग्रिमों की वसूलियाँ ₹ 78.02 करोड़ (10.76 *प्रतिशत*) से बढ़ी जबकि ऋणों का संवितरण ₹ 1,917.54 करोड़ (51.34 *प्रतिशत*) बढ़ा ।
- सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ ₹ 3,240.48 करोड़ (351.31 *प्रतिशत) से बढ़ी* जबकि पुनर्भुगतान ₹ 37.30 करोड़ (2.90 *प्रतिशत*) से बढ़ा ।
- 2013-14 की समाप्ति पर नकद शेष पिछले वर्ष से ₹ 1,105.10 करोड़ (55.65 *प्रतिशत*) से घटा ।

1.3 बजट अनुमान व वास्तविकता

राजस्व प्राप्तियों व व्यय के अन्तर्गत बजटीय व वास्तविक आँकड़े **चार्ट 1.1** में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 1.1 चयनित राजकोषीय पैरामीटरः वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान

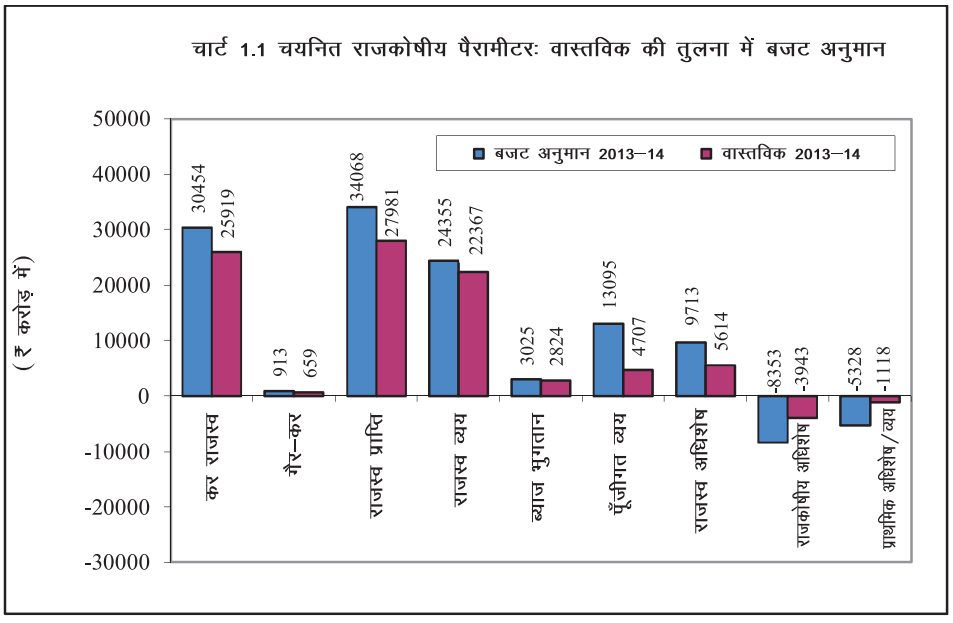

जैसा कि **चार्ट 1.1** से देखा जा सकता है, कई प्रमुख मापदण्डों के मामले में अनुमान व वास्तविकता में उल्लेखनीय भिन्नता है। वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ व राजस्व व्यय दोनों लक्ष्यों से कम थे। राजकोषीय घाटा जो ₹ 8,352.65 करोड़ अनुमानित था ₹ 4,409.94 करोड़ से कम होकर ₹ 3,942.71 करोड़ था। प्राथमिक घाटा, ₹ 5,327.65 करोड़ अनुमानित था जो ₹ 1,118.42 करोड़ हो गया।

1.4 राज्य के संसाधन

1.4.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व व पूँजीगत प्राप्तियों के दो वर्ग हैं जिनसे राज्य सरकार के संसाधन बनते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व तथा भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदान आते हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे ऋणों व अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्तियाँ, ऋण प्राप्तियाँ तथा भा.स. से ऋण व अग्रिम साथ ही लोक लेखों की जमाएँ आती हैं। **तालिका-1.1** वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियाँ एवम् संवितरण तथा जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखों में दर्ज है, प्रस्तुत करती है, जबकि **चार्ट 1.2** 2009-14 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की प्रवृतियाँ दर्शाता है।

चार्ट 1.2: प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

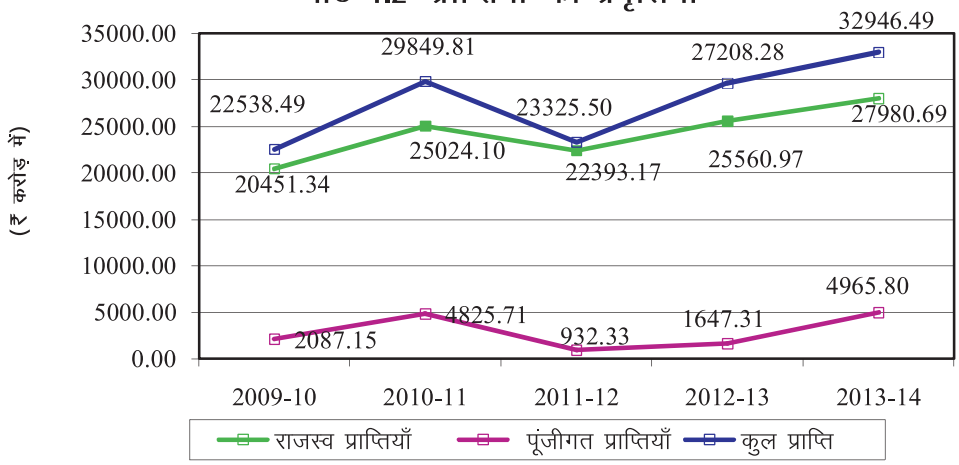

राजस्व **प्राप्तियाँ** रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की कुल प्राप्तियों का 2009-10 के 90.74 *प्रतिशत* की तुलना में 2013-14 में 84.93 *प्रतिशत* थी।

1.5 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के कर व गैर-कर राजस्व व भा.स. से सहायता अनुदान शामिल हैं। 2009-10 से 2013-14 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृतियाँ व संरचना **परिशिष्ट 1.3** में प्रस्तुत की गई है तथा क्रमशः **चार्ट 1.3 व चार्ट 1.4** में भी दर्शाई गई है।

चार्ट 1.3 : राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

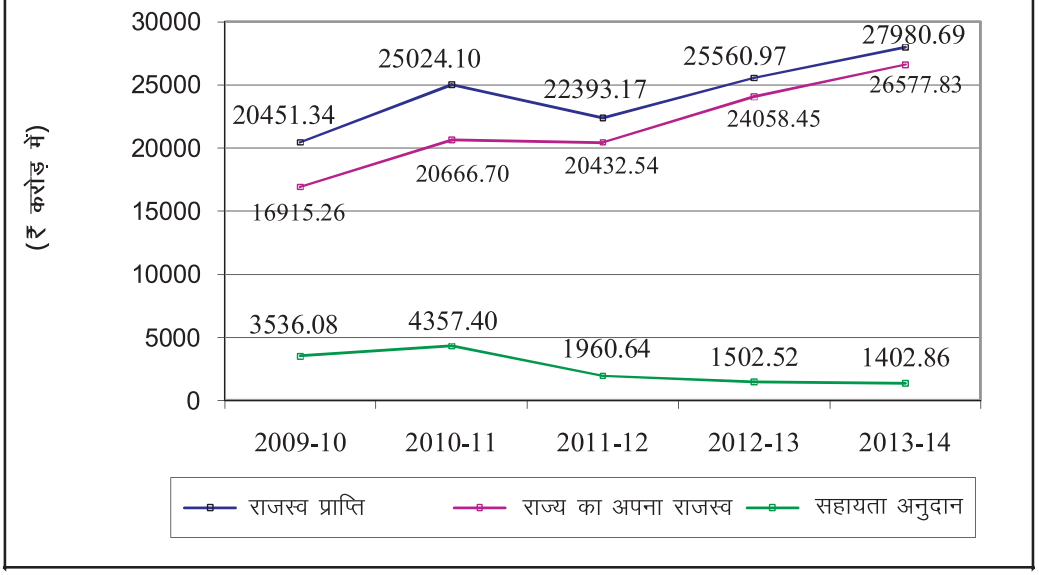

चार्ट 1.4: 2009-14 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के घटक

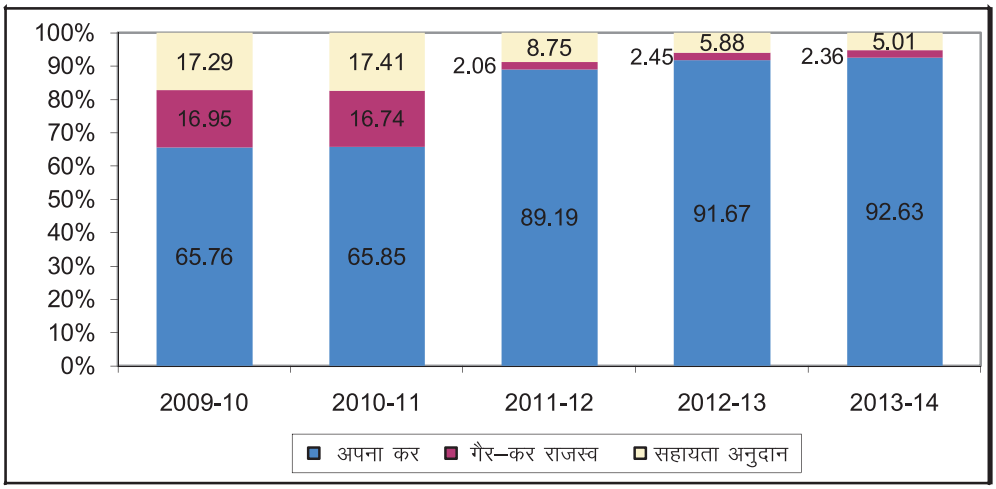

2012-13 में कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर राजस्व का अंश 91.67 *प्रतिशत* था तथा 2013-14 में यह आंशिक रूप से बढ़कर 92.63 *प्रतिशत* था । 2009-14 की अवधि के दौरान गैर-कर राजस्व में उतार-चढ़ाव था। दिल्ली का गैर-कर राजस्व 2009-10 में ₹ 3,467.40 करोड़ था। यह 2010-11 में ₹ 4,188.95 करोड़ तक बढ़ गया किंतु ब्याज प्राप्तियों में कमी के कारण 2013-14 में ₹659.14 करोड़ तक घट गया। कुल प्राप्तियों में गैर कर प्राप्ति का अंश 2009-10 में 16.95 *प्रतिशत* से घटकर 2013-14 में 2.36 *प्रतिशत* था जो एक उचित प्रवृत्ति नहीं है। स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ **तालिका 1.2** में प्रस्तुत की गई हैः

प्रतिशत

तालिका 1.2

स.रा.घ.उ. के सम्बन्ध में राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹करोड़ में)	**20451.34**	**25024.10**	**22393.17**	**25560.97**	**27980.69**
रा.प्रा. की वृद्धि की दर (*प्रतिशत*)	**25.07**	**22.36**	**(-) 10.51**	**14.15**	**9.47**
रा.प्रा./ स.रा.घ.उ. (*प्रतिशत*)	9.40	9.90	7.54	7.34	6.92
उत्प्लावकता अनुपात					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	**1.69**	**1.39**	**(-) 0.60**	**0.82**	**0.59**
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य की अपनी कर उत्प्लावकता	**0.70**	**1.40**	**1.21**	**1.00**	**0.66**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के लिए दिल्ली सरकार के वित्त लेखे)

राजस्व प्राप्तियों में 2009-14 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृति दर्ज की गई, वर्ष 2011-12 को छोड़कर जिस दौरान राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से ₹ 2,630.93 करोड़ कम हो गई। 2013-14 की राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 9.47 *प्रतिशत* बढ़ गई जबकि स.रा.घ.उ. में वृद्धि 16.18 *प्रतिशत* रही (**परिशिष्ट 1.4**)। चालू वर्ष में स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य की कर उत्प्लावकता पिछले वित्तीय वर्ष *से 1.00 प्रतिशत से* कम हो कर 0.66 *प्रतिशत* हो गई।

2009-10 में स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य की कर राजस्व उत्प्लावकता बहुत कम थी (स.रा.घ.उ. में प्रति एक *प्रतिशत* वृद्धि पर राज्य के कर राजस्व में मात्र 0.70 *प्रतिशत* वृद्धि)। यद्यपि, यह स्थिति 2010-11 में उल्लेखनीय रुप से परिवर्तित हो गई जब राज्य की कर राजस्व उत्प्लावकता बढ़कर 1.40 *प्रतिशत* हो गई परंतु प्रवृति जारी न रह पाई। 2012-13 में यह कम होकर 1.00 *प्रतिशत* और 2013-14 में 0.66 *प्रतिशत* हो गई।

1.5.1 राज्य के अपने संसाधन

राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 2009-14 की अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी। यह 2012-13 के राजस्व प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2013-14 में 9.47 *प्रतिशत* तक बढ़ गई। कुल प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 2009-10 में 65.76 *प्रतिशत* से बढ़कर 2013-14 में 92.63 *प्रतिशत* हो गया। कुल राजस्व प्राप्तियों में गैर-कर प्राप्तियों का अंश 2009-10 में 16.95 *प्रतिशत* से घटकर 2013-14 में 2.36 *प्रतिशत* हो गया। सहायता अनुदानों का अंश 2009-10 में 17.29 *प्रतिशत* से घटकर 2013-14 में 5.01 *प्रतिशत* हो गया।

कर राजस्व

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान कर राजस्व के घटक **चार्ट 1.5** में दिए गए हैं:

चार्ट 1.5 : 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान कर राजस्व घटक

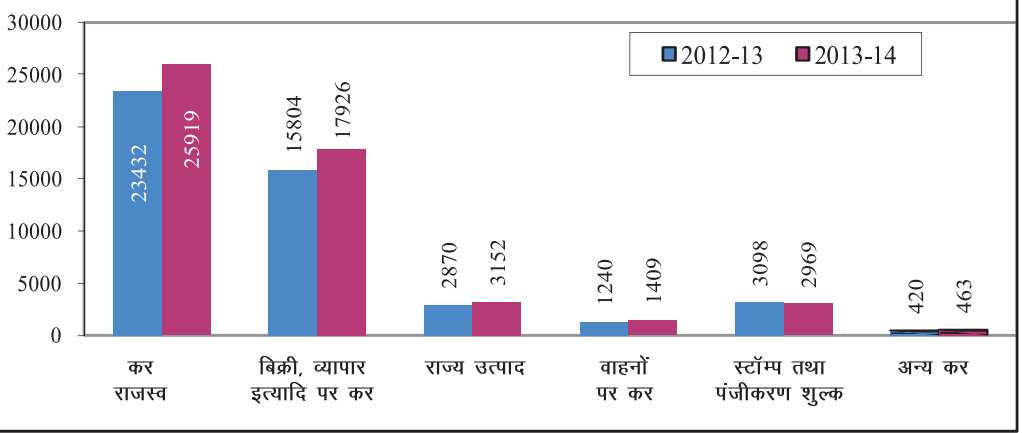

(स्रोतः वित्त लेखे 2012-13 एवं 2013-14)

कर राजस्व चालू वर्ष के दौरान (₹ 25,918.69 करोड़) विगत वर्ष (₹ 23,431.52 करोड़) की तुलना में ₹ 2,487.17 करोड़ (10.61 *प्रतिशत*) तक बढ़ा। राजस्व में प्रमुख योगदान बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करों से था जिसका कुल कर राजस्व में 69.16 *प्रतिशत* योगदान था तथा पूर्व वर्ष से यह 13.43 *प्रतिशत* बढ़ा था।

राज्य उत्पाद शुल्क के अंतर्गत संग्रह पूर्व वर्ष से 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹ 281.89 करोड़ (9.82 *प्रतिशत*) बढ़ा जबकि स्टाम्प ड्यूटी के ₹ 128.99 करोड़ (4.16 *प्रतिशत*) घटा। इसी प्रकार, वाहनों पर कर व अन्य करों का अंशदान क्रमशः ₹ 169.10 करोड़ (13.64 *प्रतिशत*) व ₹ 43.16 करोड़ (10.28 *प्रतिशत*) बढ़ा।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व जो 2013-14 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 2.36 *प्रतिशत* था, वर्ष 2009-10 से ₹ 2,808.26 करोड़ (80.99 *प्रतिशत)* कम हो गया।

2012-13 में ₹ 340.03 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 379.35 करोड़ हो गई, का कुल गैर-कर प्राप्तियों में 2012-13 में 54.24 *प्रतिशत* और 2013-14 में 57.55 *प्रतिशत* योगदान था। 2013-14 में ₹ 379.35 करोड़ की कुल ब्याज प्राप्ति में से ₹ 340.23 करोड़ स्थानीय निकायों से प्राप्त किया गया था।

1.5.2 संग्रहण की लागत

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्ति का सकल संग्रह, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण से ऐसे व्यय की प्रतिशतता निम्नवत् है:

तालिका 1.3

संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	राजस्व संग्रहण पर व्यय का *प्रतिशत*
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2011-12	13750.95	53.67	0.39
	2012-13	15803.69	75.70	0.48
	2013-14	17925.71	72.56	0.40
राज्य उत्पाद शुल्क	2011-12	2533.72	10.79	0.43
	2012-13	2869.74	23.67	0.82
	2013-14	3151.63	13.01	0.41
वाहनों पर कर	2011-12	1049.19	31.79	3.03
	2012-13	1240.18	28.91	2.33
	2013-14	1409.28	33.63	2.38

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2013-14 के दौरान वाहनों पर कर के सम्बन्ध में संग्रहण लागत पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ गई। वर्ष 2013-14 के राजस्व की वसूली पर व्यय में वृद्धि वर्ष 2012-13 के दौरान त्रिखंडित दि.न.नि के पार्किंग प्रभारों के मुख्य शीर्ष '2041' डी.1 (4) (14) (1) (2) एवं (3) के अंतर्गत पहली बार व्यय शीर्ष का निर्माण करने के कारण हुई।

1.6 संसाधनों का अनुप्रयोग

1.6.1 व्यय की वृद्धि व संरचना

राज्य अपने कार्यों के निष्पादन को पूरा करने सामाजिक व आर्थिक सेवाओं की पूर्ति करने की अपनी वर्तमान प्रकृति बनाए रखने, पूँजीगत व्यय व निवेश द्वारा इन सेवाओं के नेटवर्क का विस्तार करने तथा अपनी ऋण सेवाओं की बाध्यता के निर्वहन हेतु संसाधन उत्पन्न करते हैं। राज्य का कुल व्यय 2009-10 में ₹ 24,319.45 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 32,726.31 करोड़ हो गया।

चालू वर्ष के दौरान कुल व्यय ₹ 32,726.31 करोड़ विगत वर्ष से ₹ 4,155.49 करोड़ (14.54 *प्रतिशत*) बढ़ा है। कुल वृद्धि में से, राजस्व व्यय ₹ 1,707.16 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय ₹ 530.79 करोड़ था, जबकि ऋण व अग्रिमों में ₹ 1,917.54 करोड़ की वृद्धि हुई। चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय के अंश में सीमान्त वृद्धि राज्य द्वारा निधि के कम उत्पादक आबंटन का संकेतक है। विगत पाँच वर्षों में राजस्व व्यय 2009-10 में ₹ 13,900.88 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 22,366.52 करोड़ हो गया जो 60.90 *प्रतिशत* की वृद्धि थी। तुलनात्मक रूप में पूँजीगत व्यय जो 2009-10 में ₹ 4,717.27 करोड़ था, 2013-14 में घटकर ₹ 4,707.42 करोड़ हो गया और इस अवधि के दौरान 0.21 *प्रतिशत* की कमी दर्ज की।

पूँजीगत व्यय व राजस्व व्यय 2009-10 में कुल व्यय (ऋण व अग्रिम को छोड़कर) का क्रमशः 25.34 *प्रतिशत* तथा 74.66 *प्रतिशत* थे जबकि 2013-14 में ये क्रमशः 17.39 *प्रतिशत* व 82.61 *प्रतिशत* थे। योजनागत शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय 2012-13 में ₹ 10,670.46 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 1,494.75 करोड़ की वृद्धि दर्ज कर ₹ 12,165.21 करोड़ हो गया जबकि गैर-योजनागत व्यय 2012-13 में ₹ 743.20 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 14,165.54 करोड़ से 2013-14 में ₹ 14,908.74 करोड़ हो गया। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल व्यय का योजनागत एवं गैर-योजनागत व्यय का अंश क्रमशः 44.93 *प्रतिशत* तथा 55.07 *प्रतिशत* था। **चार्ट 1.6** 2009-14 की अवधि के दौरान कुल व्यय की प्रवृतियाँ प्रस्तुत करता है:

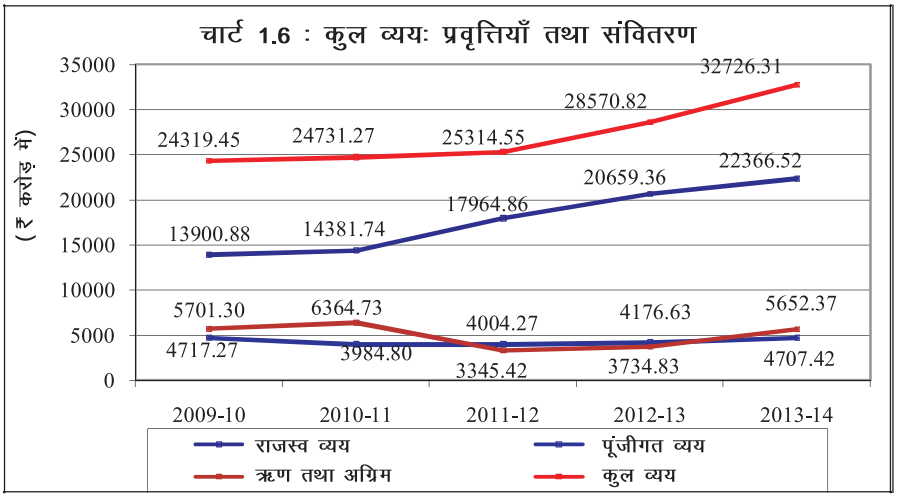

'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों से व्यय' दोनों के संबंध में संरचना को क्रमशः **चार्ट 1.7 एवं 1.8** में दिखाया गया है।

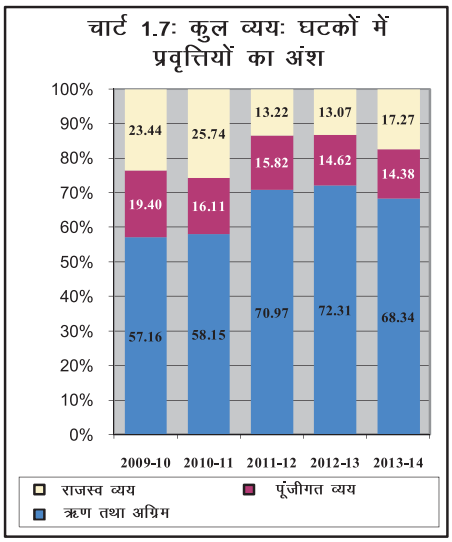

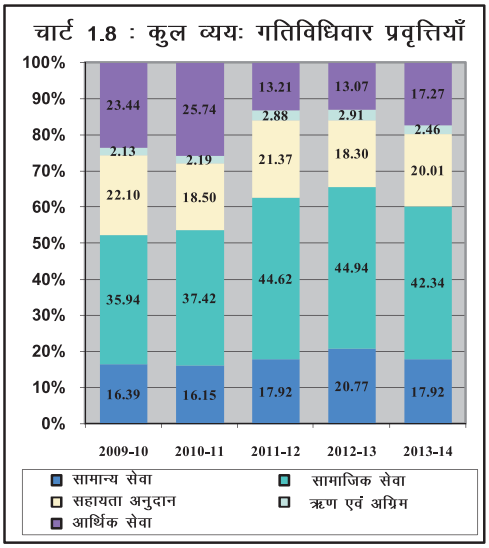

चार्ट 1.8 दर्शाता है कि 2009-14 के दौरान कुल व्यय में सामान्य सेवाओं का अंश 16.39 *प्रतिशत* से बढ़कर 17.92 *प्रतिशत* हो गया जबकि सामाजिक सेवाओं का अंश 35.94 *प्रतिशत* से बढ़कर 42.34 *प्रतिशत* हो गया। जबकि ऋण तथा अग्रिम पर कुल व्यय पुनः 2009-10 में 23.44 *प्रतिशत* से 13.07 *प्रतिशत* घट गया तथा समान अवधि में पुनः बढ़कर 17.27 *प्रतिशत* हो गया।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में अच्छे सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतः इसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाता है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार के अन्तर्गत् मूल रुप से तीन पहलू जैसे, व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु पर्याप्त प्रावधान),

व्यय के प्रयोग में दक्षता तथा उपयुक्तता (कुछ चुनिंदा सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण) सम्मिलित हैं।

1.7.1 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक अवसंरचना संबंधी व्यय के उत्तरदायित्व को संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रमुखतः राज्य सरकारों को सौंपे जाते हैं। इस प्रकार, राज्यों में सामाजिक विकास स्तरों को बढ़ाने हेतु प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय को बढ़ाया जाना आवश्यक है। किसी क्षेत्र की राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय से व्यय श्रेणी का अनुपात) निम्न मानी जाएगी यदि यह राष्ट्रीय औसत से कम हो। **तालिका 1.4** 2013-14 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय व पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को दर्शाता है।

तालिका 1.4

2010–11 और 2013–14 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(*प्रतिशत में*)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता **	कु. व्य./ स.रा.घ.उ.	वि.व्य./ कु. व्य.	सा.से.व्य./ कु.व्य.	पू.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
सामान्य श्रेणी राज्य औसत (अनुपात) 2010–11	15.78	65.09	36.88	13.49	17.48	4.37
दिल्ली राज्य का औसत (अनुपात) 2010–11	9.78	70.70	43.92	16.11	17.06	9.55
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2013–14	15.92	66.45	37.56	13.62	17.20	4.51
दिल्ली राज्य का औसत (अनुपात) 2013–14	8.09	78.86	46.60	14.38	18.85	9.10

** स.रा.घ.उ. के *प्रतिशत* के रुप में

कु.व्यः कुल व्यय वि.व्य. : विकास व्यय

सा.से.व्यः. सामाजिक सेवा व्यय पूँ. व्य. : पूँजीगत व्यय

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण व अग्रिम शामिल है।

* सामान्य श्रेणी राज्यों में तीन राज्य-दिल्ली,गोवा व पांडिचेरी शामिल नहीं हैं।

स्रोत : स.रा.घ.उ. हेतु सूचना राज्य के अर्थशास्त्र व सांख्यिकीय निदेशालय से संग्रहित है।

राजकोषीय प्राथमिकता व्यय किसी विशेष व्यय शीर्ष को दिया जाने वाला महत्व है। उपरोक्त तालिका 2010-11 तथा चालू वर्ष 2013-14 में राज्य के व्यय की विभिन्न श्रेणियों को दी गयी राजकोषीय प्राथमिकता की सामान्य श्रेणी के राज्यों से तुलना प्रस्तुत करता है।

- स.रा.घ.उ. के अनुपात में दिल्ली का कुल व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में 2010-11 एवं 2013-14 दोनों वर्षों में निम्न था।

- सरकार ने वि.व्य. को 2010-11 एवं 2013-14 में राजकोषीय प्राथमिकता दिया क्योंकि इसका कु.व्य. से अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत अनुपात से अधिक था।
- सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में कु.व्य. में पू.व्य. का अनुपात 2010-11 एवं 2013-14 दोनों वर्षों में अधिक था।
- 2013-14 में कु.व्य. का शिक्षा पर व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों से आंशिक रुप से अधिक था।
- 2010-11 एवम् 2013-14 दोनों वर्षों में दिल्ली में स्वास्थ्य को दी गई प्राथमिकता सामान्य श्रेणी के राज्यों से बहुत ज्यादा थी।

1.7.2 प्रयुक्त व्यय की दक्षता

सामाजिक व आर्थिक विकास पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों हेतु व्यय के वैज्ञानिकीकरण हेतु समुचित उपाय करना तथा विशेषतः हाल के वर्षों में ऋण सेवा में कमी के कारण राजकोष में उत्पन्न स्थान को ध्यान में रखकर विकास व्यय हेतु आबंटन में सुधार करने के अतिरिक्त मौलिक, सार्वजनिक तथा श्रेष्ठ वस्तुओं* के प्रावधान पर बल दिया जाना चाहिए। **तालिका 1.5 तथा चार्ट 1.9** चालू वर्ष तथा विगत वर्षों के दौरान विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका 1.5

विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (नीचे क से ग तक)	17768.13	17631.45	20004.27	20802.05	27178.29	25808.13
क. विकास राजस्व व्यय	9753.86	10111.26	12889.34	14088.26	16917.89	15964.55
ख. विकास पूंजीगत व्यय	4361.14	3720.25	3815.45	3979.76	4566.40	4441.95
ग. विकास ऋण व अग्रिम	3653.13	3799.94	3299.48	2734.03	5694.00	5401.63

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* **मौलिक सार्वजनिक वस्तुएँ** वे हैं जो सभी नागरिक साथ-साथ उपयोग करते हैं अर्थात् ऐसी वस्तु के किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस वस्तु के उपयोग में कमी नहीं आती है , यथा कानून व्यवस्था लागू करना, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षा, प्रदूषणमुक्त वायु व पर्यावरणीय वस्तुएँ व सड़क अवसंरचना, इत्यादि।

योग्यतामूलक वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र निशुल्क अथवा रियायती दरों पर प्रदान करता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज को वे आवश्यकता की एक संकल्पना के आधार पर मिलने चाहिए, न कि सरकार को भुगतान करने की क्षमता या इच्छा के कारण। ऐसी वस्तुओं के उदाहरण हैं पोषाहार हेतु निर्धनों को निःशुल्क व रियायती भोजन, जीवन की गुणवत्ता सुधारने तथा रूग्णता कम करने हेतु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, सभी को मौलिक शिक्षा प्रदान करना, पेय जल व स्वच्छता, इत्यादि।

चार्ट 1.9 : वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लिए विकास व्यय

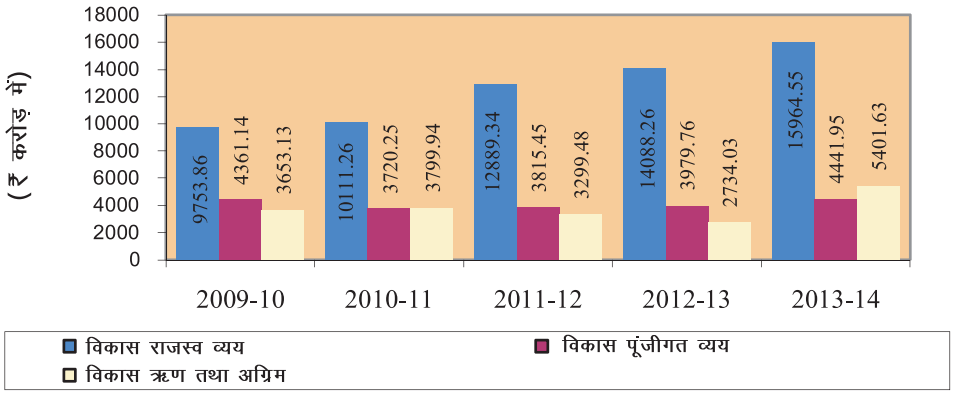

2013-14 के दौरान राजस्व एवं पूंजीगत के अन्तर्गत् वास्तविक विकास व्यय अनुमानों से क्रमशः ₹ 953.34 करोड़ तथा ₹ 124.45 करोड़ कम था। यह दर्शाता है कि बजट अनुमानों को तैयार करते समय विभिन्न योजनागत योजनाओं का क्रियान्वयन करने में क्रियान्वयन एजेंसियों की तैयारी का आकलन नहीं किया गया।

उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान वास्तविक विकास राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय क्रमशः 63.67 *प्रतिशत* व 1.85 *प्रतिशत* बढ़े। विकास राजस्व व्यय में वृद्धि नागरिकों के सामाजिक व आर्थिक विकास के प्रति निरन्तर सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाती है। विकास पूँजीगत व्यय विगत वर्ष से 2013-14 में ₹ 462.19 करोड़ बढ़ा जबकि विकास ऋण व अग्रिम ₹ 2,667.60 करोड़ बढ़ा।

1.8 सरकारी व्यय व निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह खण्ड विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष में सरकार द्वारा किए गए निवेश तथा अन्य पूंजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2014 तक, सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 17,060.35 करोड़ का निवेश किया था (**तालिका 1.6**)। इस निवेश पर प्रतिफल 2013-14 में बहुत कम 0.07 *प्रतिशत* था। 2009-14 के दौरान प्रतिफल 0.07 तथा 0.38 प्रतिशत के बीच था। सरकार ने

2013-14 के दौरान अपने उधारों पर औसतन 8.80 *प्रतिशत* ब्याज दर चुकाया। **तालिका 1.6** में विवरण दिया गया है:

तालिका 1.6

निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधारों की लागत	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
वर्ष के अन्त में निवेश	11017.56	12616.58	14655.90	16388.15	17060.35
प्रतिफल	41.56	46.59	33.00	26.25	11.95
प्रतिफल (%)	0.38	0.37	0.23	0.16	0.07
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (%)	9.52	9.10	9.77	9.73	8.80
ब्याज दर तथा प्रतिफल के बीच अन्तर (%)	9.14	8.73	9.54	9.57	8.73

पिछले राजकोषीय वर्ष की अपेक्षा 2013-14 में निवेश में वृद्धि मुख्य रुप से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ₹ 672.20 करोड़, के नये निवेश के कारण थी।

23 कंपनियों में ₹ 17,060.35 करोड़ के कुल निवेश में से केवल पाँच कंपनियों जैसे, दिल्ली गृह वित्त सहकारी समिति लि., इंद्रप्रस्थ चिकित्सा निगम लि., दिल्ली पर्यटन तथा परिवहन विकास निगम, इंद्रप्रस्थ गैस लि. तथा दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड़ में मार्च 2014 तक ₹ 89.53 करोड़ का निवेश किया गया जिससे 2013-14 के दौरान ₹11.95 करोड़ का लाभांश प्राप्त हुआ जो कि इन कंपनियों में निवेश का 13.35 *प्रतिशत* था।

1.8.2 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों व कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त सरकार भी संस्थानों/संगठनों को भी ऋण व अग्रिम प्रदान कर रही है। 31 मार्च 2014 को कुल बकाया ऋण व अग्रिम ₹ 55,737.28 करोड़ था (**तालिका 1.7**)।

तालिका 1.7

राज्य सरकार द्वारा ऋणों व अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारों की लागत	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
प्रारंभिक शेष	39219.78	45147.73	47877.90	50887.82
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम की राशि	6364.73	3345.41	3734.83	5652.37
वर्ष के दौरान पुनः भुगतान की राशि	436.77	376.25	724.90	802.91
अन्त शेष	45147.73	48116.90	50887.82	55737.28
निवल योग	5927.95	2969.17	3009.93	4849.46
ब्याज प्राप्तियाँ	3869.84	174.14	340.03	379.35
बकाया ऋणों व अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ	8.57	0.36	0.67	0.68

राज्य स्तरीय संगठनों/संस्थानों के प्रति बकाया ऋण दिल्ली के रा.रा.क्षे. के कुल बकाया ऋणों का बहुत बड़ा भाग है। रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा बहुत से राज्य उद्यमों तथा संस्थाओं, जिनको ऋण एवं अग्रिम दिए गए थे, और 2013-14 के अंत में बकाया रह गए थे, वे जल आपूर्ति और सफाई प्रबंध (₹ 14,629.68 करोड़), शहरी विकास योजना (₹ 1,718.53 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 13,658.14 करोड़), पावर परियोजनाओं के लिए ऊर्जा क्षेत्र (₹ 10,157.55 करोड़) और विविध ऋण (₹ 14,990.52 करोड़) के क्षेत्रों में थे।

1.9 परिसम्पत्तियाँ व देयताएँ

1.9.1 परिसम्पत्तियाँ व देयताओं की वृद्धि व संरचना

सरकार के वर्तमान लेखाकरण प्रणाली में अचल परिसंपत्तियों जैसे सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता। यद्यपि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं व किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को दर्ज किया जाता है। **परिशिष्ट 1.5**, 31 मार्च 2014 को ऐसी देयताओं व परिसम्पत्तियों का सार 31 मार्च 2013 को सम्बन्धित स्थिति से तुलना करते हुए प्रस्तुत करता है। परिशिष्ट में दी गई देयताओं में भारत सरकार (भा.स.) द्वारा दिए केवल ऋण व अग्रिम ही सम्मिलित है। परिसम्पत्तियों में मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त पूँजीगत परिव्यय व ऋण व अग्रिम तथा नकद शेष आते है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएँ

राज्य की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताएँ 2009-10 में ₹ 26,544.20 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 32,080.32 करोड़ (20.86 *प्रतिशत*) हो गई। 2013-14 के दौरान ₹ 32,080.32 करोड़ की राजकोषीय देयताओं में 'छोटी बचतों के संग्रह का अंश' की ₹ 32,080.31 करोड़ की तथा 'अन्य सहकारी समितियों को सहकारी सहायता' की ₹ 0.01 करोड़ की बाध्यताएँ थीं। 2013-14 की समाप्ति पर राजकोषीय देयताएँ राजस्व प्राप्तियों का 1.15 गुणा तथा राज्य के अपने संसाधनों का 1.21 गुणा थी।

1.10 ऋण धारणीयता

राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त राज्य की ऋण धारणीयता[*] का निर्धारण करने वाले विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यह खण्ड राज्य सरकार के ऋण की धारणीयता का निर्धारण ऋण स्थिरीकरण[†] गैर-ऋण प्राप्तियों[‡] की पर्याप्तता, उधार ली गई निधियों[§] की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतान के भार (ब्याज भुगतानों से राजस्व प्राप्तियों के अनुपात में मापा जाता है।) तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता के आधार पर करता है। **तालिका 1.8** 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि हेतु इन संकेतकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता को दिखाता है।

---

[*] ऋण धारणीयता, राज्य द्वारा एक समयावधि के दौरान एक निश्चित ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात बनाए रखने की क्षमता के रुप में परिभाषित की जाती है तथा इसमें इसके ऋण को क्रियान्वित करने की क्षमता के बारे में चिंता भी परिलक्षित होती है। अतः ऋण धारणीयता से तात्पर्य वर्तमान अथवा लक्षित दायित्वों की पूर्ति हेतु द्रव्य परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा अतिरिक्त ऋणों की लागत, तथा इन ऋणों से प्राप्त प्रतिफलों के बीच संतुलन रखने की क्षमता भी होती है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण को क्रियान्वित करने की क्षमता से मेल होना चाहिए।

[†] स्थिरता की एक आवश्यक दशा यह है कि यदि अर्थव्यवस्था के विकास की दर सार्वजनिक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक हो तो ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक अधिशेष शून्य या धनात्मक या साधारणतः ऋणात्मक हो। यदि दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) तथा क्वांटम विस्तार (ऋण दर विस्तार) दी होने पर, ऋण धारणीयता का नियम बताता है कि यदि मात्रा विस्तार व प्राथमिक घाटा शून्य हो, ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगा। इसके विपरीत यदि प्राथमिक घाटा व क्वांटम विस्तार ऋणात्मक हो जाएँ, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ेगा और यदि ये धनात्मक हैं तो ऋण- स.रा.घ.उ. अनुपात अन्ततः नीचे गिरेगा।

[‡] अभिवृद्धयात्मक ब्याज देयताओं व अभिवृद्धयात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हेतु राज्य की अभिवृद्धयात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता ऋण धारणीयता की प्राप्ति बहुत आसान हो जाएगी यदि अभिवृद्धयात्मक गैर-ऋण प्राप्तियों से अभिवृद्धयात्मक ब्याज भार तथा अभिवृद्धयात्मक प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

[§] इसे ऋण शोधन (मूलधन+ब्याजभुगतान) से कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रुप में परिभाषित करते है तथा यह दर्शाता है ऋण प्राप्तियाँ किस सीमा तक ऋण शोधन में प्रयुक्त हुए जिससे ऋण ली गई निधि की निवल उपलब्धता का पता चलता है।

तालिका 1.8

ऋण धारणीयता: संकेतक व प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
ऋण स्थिरीकरण (मात्रा विस्तार + प्राथमिक घाटा)	(+)506.79	(+)5984.78	(+)3105.77	(+)2937.71	(+)919.80
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन रिक्तता)	1479.97	4210.52	(-) 6274.57	821.95	790.57
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	1162.53	3595.88	(-) 531.80	(-) 365.58	2837.60
ब्याज भुगतान का भार (आईपी/आरआर अनुपात)	12.09	10.31	13.03	11.20	10.09
ऋण/स.रा.घ.उ. अनुपात	12.20	11.92	9.97	8.40	7.23

(स्रोतः संकेतकों की गणना हेतु आँकड़े संबंधित वर्षों के लिए दिल्ली के वित्त लेखों तथा प्र.ले.का. दिल्ली से लिए गए हैं।

- प्राथमिक घाटे के साथ मात्रा विस्तार 2009-10 से 2013-14 तक सकारात्मक रहा, जो ऋण के स्थिर होने का सूचक है। उधार ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता की प्रवृति भी अनुकूल स्थिति में थी।
- पिछले वर्ष की अपेक्षा 2013-14 में दोनों राजस्व प्राप्तियाँ व राजस्व व्यय क्रमशः ₹ 2,419.72 करोड़ व ₹ 1,707.16 करोड़ बढ़े। संसाधन अंतर 2012-13 के ₹ 821.95 करोड़ से घटकर 2013-14 में ₹ 790.57 करोड़ हो गया।
- ब्याज भुगतान के भार में मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई दी। यह 2009-10 में 12.09 *प्रतिशत* से कम होकर 2010-11 में 10.31 *प्रतिशत* हो गया, राजस्व प्राप्ति में वृद्धि के कारण 2011-12 के दौरान 13.03 *प्रतिशत* की वृद्धि तथा 2013-14 के दौरान 10.09 *प्रतिशत* की कमी हो गई।
- ऋण तथा स.रा.घ.उ. अनुपात दर्शाता है कि यद्यपि ऋण स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,837.61 करोड़ (9.70 *प्रतिशत*) से बढ़ी है, स.रा.घ.उ. भी समान अवधि के दौरान उच्च दर (16.18 *प्रतिशत*) से बढ़ी है। इसके परिणामस्वरुप ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात 2009-10 में 12.20 *प्रतिशत* से कम होकर 2013-14 में 7.23 *प्रतिशत* हो गया।

1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड - राजस्व, वित्तीय व प्राथमिक घाटे - एक निर्दिष्ट समयावधि के दौरान राज्य सरकार के वित्तों में सम्पूर्ण वित्तीय असंतुलन की सीमा दर्शाते हैं। सरकारी खातों में घाटे इसकी प्राप्तियों तथा व्यय के बीच अन्तर दर्शाते हैं। घाटे की प्रकृति, सरकार के विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबन्धन का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, जिन तरीकों से घाटों का वित्तीयकरण किया जाता है तथा संसाधन उत्पन्न किए जाते है, इसके राजकोषीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक के रुप में प्रयोग किए जाते हैं। यह खण्ड इन घाटों के वित्तीयकरण की प्रवृतियों, प्रकृति, मात्रा तथा ढंग एवम् राजस्व व राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों का निर्धारण प्रस्तुत करता है।

1.11.1 अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.10 व **चार्ट 1.11** 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान अधिशेष/घाटा संकेतकों तथा स.रा.घ.उ. से संबंधित अधिशेष/घाटा की प्रवृत्ति को दर्शाता हैं।

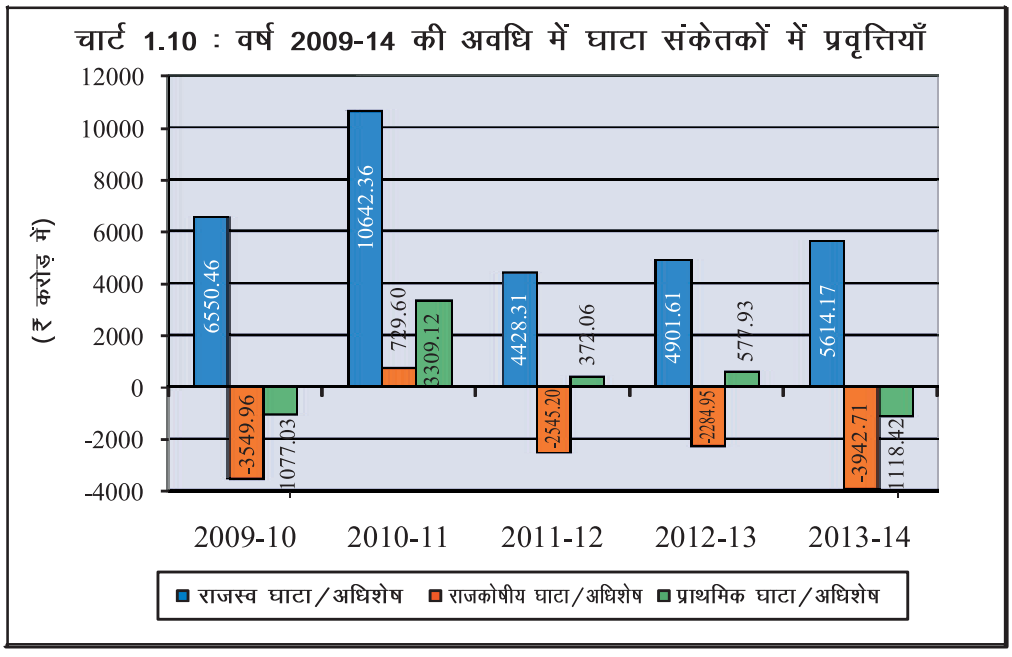

चार्ट 1.11: स.रा.घ.उ. के संदर्भ में घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियां

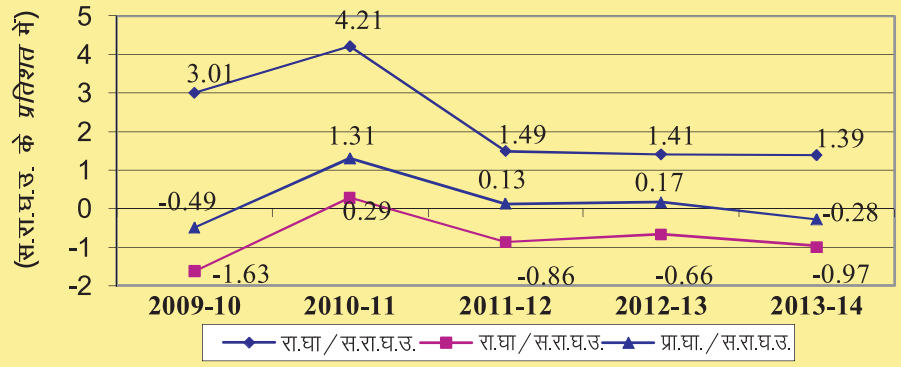

राजस्व अधिशेष राजस्व व्यय के ऊपर राजस्व प्राप्ति के आधिक्य को इंगित करता है। राज्य में 2009-14 के दौरान लगातार राजस्व आधिक्य हुआ। 2009-10 में यह ₹ 6,550.46 करोड़ था जो 2010-11 में बढ़कर ₹ 10,642.36 करोड़ हो गया 2013-14 में यह ₹ 5,614.17 करोड़ था।

2009-14 के दौरान राजकोषीय घाटा राज्य के कुल उधार तथा संसाधन अंतर के मिश्रित आंकड़े प्रदर्शित करता है। 2009-10 में ₹ 3,549.96 करोड़ का राजकोषीय घाटा 2010-11 में ₹ 729.60 करोड़ के आधिक्य में बदल गया तथा 2013-14 के दौरान ₹ 3,942.71 करोड़ का घाटा था।

प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा के ऊपर प्राथमिक व्यय की अधिकता (ब्याज भुगतानों के बाद कुल निवल व्यय) को दर्शाता है। 2009-10 में राज्य में प्राथमिक घाटा था जो 2010-11 के दौरान ₹ 3,309.12 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया। 2013-14 में प्राथमिक घाटा ₹ 1,118.42 करोड़ से बढ़ गया।

2013-14 में राजस्व प्राप्तियाँ 9.47 *प्रतिशत* तक बढ़ गई, किन्तु राजस्व व्यय पिछले वर्ष से 8.26 *प्रतिशत* तक बढ़ गया जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष अर्थात् 2012-13 की तुलना में राजस्व अधिशेष में ₹ 712.56 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक व इसके वित्तीयन प्रतिरूप

राजकोषीय घाटे के वित्तीयन प्रतिरूप को **तालिका 1.9** में दिखाया गया है:

तालिका 1.9

राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
1.	राजकोषीय घाटा/बचत* (-/+)	(-) 3549.96	(+) 729.60	(-)2545.20	(-)2284.95	(-)3942.71
2.	राजस्व घाटा/अधिशेष (-/+)	(+) 6550.46	(+)10642.36	(+) 4428.31	(+)4901.61	(+)5614.17
3.	निवल पूँजीगत व्यय	(-) 4717.27	(-) 3984.80	(-) 4004.27	(-) 4176.63	(-)4707.42
4.	निवल ऋण तथा अग्रिम	(-) 5383.15	(-) 5927.96	(-) 2969.17	(-) 3009.93	(-)4849.46
	राजकोषीय घाटे का वित्तीयन प्रतिरूप**					
1.	भा.स. से ऋण	1162.54	3595.88	(-) 531.80	365.58	2837.60

** घाटे के आंकड़े – में तथा अधिशेष + में दिखाए गए है*

*** ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बाह्य प्रवाह के हैं*

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा प्र.ले.का., दिल्ली)

1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे को प्राथमिक राजस्व घाटे व पूंजीगत व्यय (ऋण व अग्रिमों सहित) में विखण्डित करने पर राज्य के वित्तों में घाटे की प्रकृति का संकेत मिलता है। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात दर्शाता है कि ऋण ली गई निधि किस सीमा तक वर्तमान उपभोग हेतु प्रयोग की गई। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का निरंतर उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पति आधार लगातार घट रहा था तथा ऋणों के एक भाग (राजकोषीय देयताएँ) हेतु कोई परिसम्पतीय पूर्ति नहीं थी। चूँकि 2009-14 की पूरी अवधि में दिल्ली का राजस्व अधिशेष रहा, इसलिए ऋण ली गई निधि को केवल पूंजीगत व्यय व ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया जैसा कि **तालिका 1.10** में दिया गया है।

तालिका 1.10

प्राथमिक घाटा/अधिशेष-घटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण व अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष(+)	प्राथमिक घाटा (-) /अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-3)	8(2-6)
2009-10	20769.49	11427.95	4717.27	5701.30	21846.52	(+) 9341.54	(-) 1077.03
2010-11	25460.87	11802.22	3984.80	6364.73	22151.75	(+)13658.65	(+) 3309.12
2011-12	22769.35	15047.60	4004.27	3345.42	22397.29	(+) 7721.75	(+) 372.06
2012-13	26285.87	17796.48	4176.63	3734.83	25707.94	(+) 8489.39	(+) 577.93
2013-14	28783.60	19542.23	4707.42	5652.37	29902.02	(+) 9241.37	(-) 1118.42

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा प्र.ले.का., दिल्ली)

राज्य को वर्ष 2009-10 में प्राथमिक वित्तीय घाटा हुआ। गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्राथमिक व्यय की पूर्ति नहीं कर पाई, जिससे प्राथमिक घाटा हुआ। हालांकि, 2010-11 से 2012-13 में राज्य के पास प्राथमिक अधिशेष था परन्तु यह 2010-11 में ₹ 3,309.12 करोड़ से घटकर 2012-13 में ₹ 577.93 करोड़ हो गया। 2013-14 में राज्य में पुनः ₹ 1,118.42 करोड़ प्राथमिक घाटा हुआ। प्राथमिक व्यय के *प्रतिशत* के रुप में पूंजीगत व्यय विगत वर्ष में 16.25 *प्रतिशत* के प्रति कम होकर 2013-14 में 15.74 *प्रतिशत* हो गया। पूंजीगत व्यय पर पूँजीगत परिव्यय वांछित परिणामों की प्राप्ति हेतु समय पर भौतिक परिसम्पत्तियों में परिणत होना चाहिए ।

1.12 निष्कर्ष

राजस्व प्राप्तियाँ पिछले वर्ष से ₹ 2,419.72 करोड़ (9.47 *प्रतिशत*) बढ़ी । वर्ष 2013-14 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 94.99 *प्रतिशत* दिल्ली के अपने करों से मिला था। कर राजस्व ₹ 2,487.17 करोड़ (10.61 *प्रतिशत*) बढ़ा । गैर-कर राजस्व जो 2013-14 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का 2.36 *प्रतिशत* था वर्ष 2009-10 में ₹ 2,808.26 करोड़ (80.99 *प्रतिशत*) घटा । भारत सरकार से अनुदान ₹ 99.66 करोड़ (6.63 *प्रतिशत*) कम हुआ ।

2013-14 मे पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष से ₹ 530.79 करोड़ (12.71 *प्रतिशत*) बढ़ा। पूंजीगत व्यय 2013-14 के दौरान कुल व्यय (ऋण व अग्रिम को सम्मिलित न करते हुए) का मात्र 17.39 *प्रतिशत* था ।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के द्वारा संवितरित बकाया ऋणों व अग्रिम के *प्रतिशत* के रूप में ब्याज प्राप्तियों की वसूली 2009-14 की अवधि के दौरान उधारों की लागत की पूर्ति हेतु अपर्याप्त थी। सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹17,060.35 करोड़ (31 मार्च 2014 तक) निवेश किए थे। सरकारी निवेश पर औसत प्रतिपूर्ति 2013-14 में 0.07 *प्रतिशत* की नगण्य मात्रा थी जबकि सरकार ने 2013-14 के दौरान अपने उधारों पर 8.80 *प्रतिशत* की औसत दर से ब्याज अदा किया।

रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय स्थिति राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा जैसे प्रमुख राजकोषीय पैरामीटरों के सम्बन्ध में देखे जाने पर यह दर्शाती है कि राजस्व अधिशेष वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 712.56 करोड़ बढ़ा, जबकि राजकोषीय घाटा ₹1,657.76 करोड़ बढ़ा, 2013-14 के दौरान ₹1,118.42 करोड़ का प्राथमिक घाटा था।

राज्य की सम्पूर्ण राजकोषीय देयताएँ 2009-10 में ₹ 26,544.20 करोड़ से बढ़कर 2013-14 में ₹ 32,080.32 करोड़ (20.86 *प्रतिशत*) हो गई। 2013-14 के दौरान ₹32,080.32 करोड़ की राजकोषीय देयताओं में 'छोटी बचतों का अंश' का ₹ 32,080.31 करोड़, 'अन्य सहकारी समितियों को सहकारी सहायता' का ₹ 0.01 करोड़ था।

1.13 सिफारिशें

राज्य सरकार निम्नोक्त पर विचार कर सकती है:

- आर्थिक वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव हेतु पूंजीगत व्यय को बढ़ाना, और
- इकाईयों/संस्थानों से बकाया ऋणों की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाना।